

जिला स्वास्थ्य समिति बैठक कार्यवृत्त माह अप्रैल 2013

दिनांक: 30.04.2013

समय मध्यान्ह 12:00 बजे

स्थान-कलेक्ट्रेट सभागार अम्बेडकरनगर।

पूर्व एजेण्डानुसार दिनांक 30.04.2013 को मध्यान्ह 12.00 बजे जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर, महोदय, की अध्यक्षता मे कलेक्ट्रेट सभागार मे जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक मे निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-

1 मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर।	आमंत्रित सदस्य
2 मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकरनगर।	उपाध्यक्ष
3 अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर0सी0एच0 अम्बेडकरनगर।	सदस्य
4 अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी , प्रतिरक्षण अम्बेडकरनगर	सदस्य
5 उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर0सी0एच0अम्बेडकरनगर।	सदस्य
6 जिला विद्यालय निरीक्षक, अम्बेडकरनगर	सदस्य
7 जिला पंचायत राज अधिकारी अम्बेडकरनगर	सदस्य
8 जिला कार्यक्रम अधिकारी अम्बेडकरनगर।	सदस्य
9 डी0एम0सी0 यूनीसेफ अम्बेडकरनगर।	सदस्य
10 डी0पी0एम0 एन0आर0एच0एम0,अम्बेडकरनगर	आमंत्रित सदस्य

बैठक मे सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था अतः जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से बैठक एजेण्डानुसार कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

पिछली बैठक दिनांक 14.03.2013 की कार्यवाही की पुष्टि की गयी। इसके पश्चात राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा आरम्भ हुई-

**जननी सुरक्षा योजना-** जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव मे सामु0स्वा0केन्द्र टाण्डा, जलालपुर एवं रामनगर की उपलब्धि मे गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष गिरावट आयी है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सम्बन्धित अधीक्षकों/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के साथ-साथ अपेक्षित प्रगति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये गये।

(कार्यवाही-मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकरनगर)

14/5/13

आनलाईन एम0सी0टी0एस0 फीडिंग-गर्भवती माताओं एवं बच्चों के आनलाईन फीडिंग/अपडेशन की समीक्षा में पाया गया कि सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्रों द्वारा डाटा समय से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे समय से फीडिंग नहीं हो पा रही है। फीडिंग समय से न हो पाने के कारण राज्य स्तर पर जनपद की स्थिति अच्छी नहीं है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा समस्त अधीक्षकों/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समय से डाटा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे फीडिंग/अपडेशन का कार्य समय से कराया जा सके। ब्लॉक स्तर पर समय से डाटा न उपलब्ध कराने वाली ए0एन0एम0 के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही-समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकरनगर)

कमिटेड लायबिलिटी-वित्तीय वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित निम्न गतिविधियों हेतु धनराशि का आबंटन प्राप्त था। किन्तु समय से कार्यक्रम न सम्पन्न हो पाना, औषधियों/जनरेटर आदि का क्रयदेश जारी होने के बाद समय से आपूर्ति न हो पाने के कारण फर्मों को भुगतान नहीं किया जा सका है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

FMR CODE	NAME OF HEAD	AMOUNT OF COMMITTED LIABILITY FOR FY 2013-14
A.2.10.1	Drugs&Cosumables (JSSK)	19,21,353.00
A.3.2.2	IUD services at health Fqilities (FP)	39,760.00
A.9 3.1.3	SBA Training	9,29,700.00
A.10.6	Concurrent audit System	27250.00
B1.1.2	Procurementof ASHADrug Kit	5,70,997.00
B8.2	Orientation Workshop, Training & Capacity building of PRI at State/ Distt.Health socities,CHC,PHC, VHSNC, Training	10,95,625.00

140523

B.9.2	Other staff Nurses&Supervisory Nurses only ayush wall painting	47,600.00
B.9.3	Other activities Excluding H R AYUSH DRUGs	8,55,167.00
B.9.3-1	One Time Grant for Mainstreaming Of ayush wing	5,00,000.00
B.10.4	Creating awareness on declining Sex ratio issue wall painting pcpndt	32,800.00
B.16.1.5.3	Generater for Distt.level coldchain Point	3,10,525.00
B.16.1.5.4	Generator for chc	27,94,725.00
B.16.2.1	Drugs &supplies for MH	12,64,771.00
B.16.2.5	General drgs &supllies for health Facilities	16,06,825.00
GT	GRAND TOTAL	1,19,97,098.00

जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0 से पत्राचार कर आवश्यक कार्यवाही करने की सहमति प्रदान की गयी है।

(कार्यवाही—मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकरनगर)

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति—ग्राम पंचायत स्तर पर गठित ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति को सक्रिय किये जाने हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की पाक्षिक कार्य योजना बनायी जाय तथा कार्ययोजना की एक प्रति जिलाधिकारी को भी उपलब्ध करायी जाय। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते मे उपलब्ध धनराशि तैयार कार्ययोजना के अनुरूप ही व्यय की जाय।

ग्राम पंचायत स्तर आयोजित होने वाली ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति को सक्रिय किये जाने हेतु सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक वर्ष मे एक बार चौपाल के माध्यम से आयोजित की जाय, जिसमे सम्बन्धित ब्लाक से एक चिकित्सा

14/8/21

अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। चिकित्साधिकारी कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती माताओं की जाँच, तथा जन सामान्य को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करेंगे। ए०एन०एम० द्वारा प्रत्येक गर्भवती माता एवं बच्चे का वजन अवश्य किया जाय, वजन हेतु पहले से ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर बेईग मशीन उपलब्ध है। यदि किसी ऑगनवाड़ी केन्द्र की बेईग मशीन खराब है तो जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उसकी मरम्मत करायी जाये, यदि कोई बेईग मशीन मरम्मत योग्य नहीं है तो उसकी जगह नयी बेईग मशीन कय की जाये।

यदि उम्र के हिसाब से वजन कम है तो बच्चा कुपोषित है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा कुपोषित बच्चों की पहचान हेतु जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालयों की दीवारों एवं पंचायत भवनों पर उम्र के हिसाब से ऊँचाई एवं वजन की तालिका पेंटिंग कराये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही—समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकरनगर)

अनुमोदित

जिलाधिकारी  
अम्बेडकरनगर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
अम्बेडकरनगर

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकरनगर

पत्रांक:—मु०चि०अ०/जि०स्वा०स०/2013-14/3495-2

दिनांक—14.5.13  
20

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

- 1 जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति अम्बेडकरनगर।
- 2 मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
- 3 समस्त सदस्य जिला स्वास्थ्य समिति अम्बेडकरनगर।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
अम्बेडकरनगर

14087